

श्रीमति नारायण
प्रधानमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा दिए
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
आताशक्ति प्रश्न सं० - ११४३
उत्तर केने की तारीख - २३ जार्ख, २०१२

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस जारी किया जाना

११४३. श्री एव०प०० अच्युतनं :

श्री डॉ राजा :

विधा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधा यह सच है कि दूरसंचार विभाग द्वारा हांगकांग स्थित कंपनी द्वारा खड़ी की गई कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस (आईएल०डी०) जारी किए जाने में अनियमितताएं पाई गई हैं जिसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल और दूरसंचार विभाग के अधिकारी शामिल हैं तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमिलेश देवरा)

(क) और (ख) : अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) का लाइसेंस केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनियों को जारी किया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मैसर्स डाटा एक्सेस इंडिया लिंग (डीएआईएल) जो कि आईएलडी लाइसेंसधारक है, से संबंधित एक मामला जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेजा है। मैसर्स डीएआईएल को वर्ष 2002 में जारी किया गया लाइसेंस, इनके द्वारा लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों का पालन न करने के कारण वर्ष 2005 में निर्वंबित कर दिया गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।
